बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–01–46/2021(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..................................

डा0 जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के पत्रांक–3683 दिनांक–30.12.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक–23.12.2021 को सरकारी यात्रा के दौरान शराब सेवन करने एवं गैर महिला को अपने आरक्षित कमरे में प्रश्रेय देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0–1136(9) दिनांक–31.12.2021 द्वारा निलबित किया गया। डा0 सुकुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–80(9) दिनांक–15.02. 2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गई।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निहित प्रक्रिया एवं प्रावधानों का अनुपालन एवं कार्यपालिका नियमावली, 1979 के नियम–15 के अधीन डा0 सुकुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–852(9) दिनांक–28.10.2022 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

3. डा0 सुकुमार द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0–11794/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–20.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प सं0–1030(9) दिनांक–18.10.2024 द्वारा डा0 सुकुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए बर्खास्तगी की तिथि से सेवा में पुनर्स्थापित किया गया है।

4. विभागीय अधिसूचना सं0–1136(9) दिनांक–31.12.2021 द्वारा डॉ0 सुकुमार को निलंबित किया गया। वे बर्खास्तगी अवधि में ही दिनांक–31.10.2022 को सेवानिवृत्त हो गए है। उन्हें विभागीय संकल्प सं0–1030(9) दिनांक–28.10.2024 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सेवा मे पुनर्स्थापित किया गया। डा0 सुकुमार को सेवा में पुनर्स्थापित होने की तिथि यथा दिनांक–28.10.2022 को भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

5. डॉ0 सुकुमार के निलंबन अवधि (दिनांक–31.12.2021 से 27.10.2022) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(3) के अधीन कार्य अवधि मानते हुए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अवशेष राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

6. डॉ0 सुकुमार के बर्खास्तगी अवधि दिनांक–28.10.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–13(3) के अधीन कार्य अवधि मानने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

27/12/2024

(15)

ज्ञापांकः–9 / आ0–01–46 / 2021(स्वा0) 1367(9) / **पटना, दिनांकः–** 27.12.2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना / सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डा0 जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–जगदीश प्रसाद, आवास सं0–76 / 104 नालबंध टोली, आलमगंज चौकी, सम्पतचक, पटना–07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/12/2024

सरकार के अवर सचिव।